संख्या: 9/1513/12-2-2014-बजट.2/2010

प्रेषक,

निखिल चन्द्र शुक्ला,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 30 मई, 2014

विषय: वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर से संबंधित प्रथम चार माह की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: बी0ए0(1)03/वित्तीय स्वीकृति/2014-15 दिनांक 02 अप्रैल, 2014 तथा पत्र संख्या: बी0ए0(1)62/वित्तीय स्वीकृति/2014-15 दिनांक 23 अप्रैल, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म-पूजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 4206812 हजार (रूपये चार अरब बीस करोड अरसठ लाख बारह हजार मात्र) के सापेक्ष प्रथम चार माह हेतु (माह अप्रैल, 2014 से जुलाई, 2014 तक) रू0 1402270 हजार (रूपये एक अरब चालिस करोड बाईस लाख सत्तर हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा है। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

3. शासकीय मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैन्डर्डस आफ फाईनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

4. मशीनों/उपकरणों का क्रय स्टोर पर्चेज रूल्स एवं संगत शासनादेशों तथा नियमों के अन्तर्गत वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता संबंधी

shasanadesh.up.nic.in

शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म-पूंजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाई के नामें डाला जायेगा।

7. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-1-795/दस-2014-231/2014 दिनांक 14 मार्च, 2014 में प्राप्त निर्देशों के अधीन जारी किए जा रहे हैं जिसकी प्रति आपको भी पृष्ठांकित की गयी है।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,

निखिल चन्द्र शुक्ला
विशेष सचिव।

संख्या- 1513 (1)/12-2-2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)'प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलहाबाद।
3. निदेशक, स्थानिक लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. संबंधित कोषाधिकारी द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अपर कृषि निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. अपर कृषि निदेशक (कृषि रक्षा), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

निखिल चन्द्र शुक्ला
विशेष सचिव।

shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या: 1513/12-2-2014-बजट.2/2010 दिनांक 30 मई, 2014 का

संलग्नक

(धनराशि हजार रू0 में)

लेखाशीर्षक/योजना का नाम/ मानक मद	प्राविधान (2014-15)	लेखानुदान अवधि (अप्रैल से जुलाई) की स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि
अनुदान संख्या-11		
4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर		
103-बीज		
03-प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र (जिला योजना)		
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	400	1333
योग- 03	400	1333
04-आधारिक बीज भण्डार		
0401-खाद्यान्न/दलहन/तिलहन/बीज की लागत और प्रासंगिक व्यय		
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	3711112	1237037
योग- 0401	3711112	1237037
0402-बोरियों की लागत प्रासंगिक व्यय		
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	4000	13333
योग: 402	4000	13333
0403-कपास और विनौले के बीजों की लागत (प्रासंगिक व्यय सहित)		
42-अन्य व्यय	200	67
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	1000	333
योग: 0403	1200	400
योग: 04/103	3752312	1250770
105-खाद तथा उर्वरक		
03-देश में निर्मित रसायनिक उर्वरकों की लागत एवं प्रासंगिक व्यय		
42-अन्य व्यय	500	167
योग: 105	500	167
107-वनस्पति संरक्षण		
03-कीटनाशक औषधियों की खरीद की लागत जिसमें प्रासंगिक व्यय सम्मिलित है		
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	450000	150000
योग: 107	450000	150000
योग- 4401	**4206812**	**1402270**

(रूपये एक अरब चालीस करोड बाइस लाख सत्तर हजार मात्र)

निखिल चन्द्र शुक्ला
विशेष सचिव।

shasanadesh.up.nic.in